"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 अगस्त 2010—श्रावण 21, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-43/2010/वाक/पांच (60).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों की श्रेणी को कॉलम (2) में निर्दिष्ट छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन से, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों एवं शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

व्यापारी की श्रेणी	नियम जिसके क्रियान्वयन से छूट दी गई	अवधि जिसकी छूट प्राप्त है	निर्बन्धन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यापारी जिसका सकल वार्षिक विक्रय राशि चालीस लाख रुपये से अधिक है.	नियम 20 के उप-नियम (2) के खंड (क).	वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रथम त्रैमास की विवरणी, त्रैमास की समाप्ति के 90 दिवस तक.	यदि कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट व्यापारी, वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रथम त्रैमास की देयकर राशि, त्रैमास अवधि की समाप्ति के तीस दिवस भीतर जमा कर देता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्रमांक एफ-10-43/2010/वाक/पांच (60).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2010/वाक/पांच (60), दिनांक 12-08-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 12th August 2010

NOTIFICATION

No. F 10-43/2010/CT/V (60).—In exercise of the powers conferred by Section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of dealers specified in column (1) of the Schedule below from the operation of the provisions of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 specified in column (2), subject to the restriction and conditions specified in column (4) of the said Schedule :—

SCHEDULE

Class of dealers (1)	Rule from the operation of which exemption is granted (2)	Priod, which exemption is available (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4)
Dealer registered under the State Act, whose annual gross turnover exceed rupees forty lac.	Clause (a) of sub-rule (2) of rule 20.	Up to 90 days from the quarter end of the first quarterly return for the financial year 2010-11.	If the dealers specified in column (1), deposits, payable tax amount of the first quarter for the financial year 2010-11, within 30 days from the quarter end.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.